कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या–480 /XXV–12(9) /2018 देहरादून : दिनांक 17 जून, 2020

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्राप्त अपीलीय प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या– 2642 दिनांक 19 मई 2020 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे अनुरोध सहित यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि आयोग द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25–05–2020 से अग्रिम आदेशों तक आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई ऑडियो/वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जानी है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश उक्त आदेश में निहित हैं।

अतः अनुरोध है कि मा0 सूचना आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या 480/XXV–12(9)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक /उ0सू0आ0/2020–21 दिनांक मई, 2020

कार्यालय आदेश

कोविड – 19 के संक्रमण के दृष्टिगत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई निम्नानुसार सम्पादित की जाएगा –

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई दिनांक 22.05.2020 से ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। लिखित अभिकथन के आधार पर सुनवाई हेतु इच्छुक अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता अपना सहमति पत्र आयोग को ईमेल/फैक्स/डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। उभयपक्ष सुनवाई से पूर्व अपना लिखित पक्ष आयोग को ईमेल/फैक्स/डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते है।
2. ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हेतु अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता को अपना मो0न0, ई0मेल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
3. दोनों पक्षों के दूरभाष नम्बर/ई0मेल आई0डी0 अथवा लिखित अभिकथन के आधार पर सुनवाई की सहमति का पत्र आयोग को प्राप्त होने पर द्वितीय अपील/शिकायत को सुनवाई का नोटिस/अग्रेतर सुनवाई का पत्र मैसेज/ई0मेल अथवा डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा।
4. आयोग में पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित रहेगी।

ह0/–
(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक 2642 /उ0सू0आ0/2020–21 दिनांक 19 मई, 2020.

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड राजभवन, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों की अद्यतन सूची जिसमें उनके नाम, मो0न0, दूरभाष न0, ईमेल आई0डी0 का अवश्य उल्लेख हो, का विवरण ई0मेल के माध्यम से यथाशीघ्र आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्त को मा0 राज्य सूचना आयुक्तगणों के अवलोकनार्थ।
8. समस्त स्टाफ, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

AROII (G)
15-6-20
S.O

(बंशीलाल राणा) 19/5/2020
प्रभारी सचिव